



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092021-229633
CG-DL-E-15092021-229633

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3435]
No. 3435]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 2021/भाद्र 23, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2021/BHADRA 23, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

का.आ. 3747(अ).— केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3978(अ), तारीख 14 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“2 क. पैरा 2 में किसी भी बात के होते हुए भी प्राधिकरण, उत्तराखंड के अध्यक्ष और सदस्य, 13 नवम्बर, 2021 तक की अवधि या नये प्राधिकरण, उत्तराखंड के पुनर्गठन तक, जो भी पहले हो, के लिए पद पर बने रहेंगे।”

(ख) पैरा 6 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“6 क. पैरा 6 में किसी भी बात के होते हुए भी एसईएसी, उत्तराखंड के अध्यक्ष और सदस्य, 13 नवम्बर, 2021 तक की अवधि या नई एसईएसी, उत्तराखंड के पुनर्गठन तक, जो भी पहले हो, के लिए पद पर बने रहेंगे।”

[फा. सं. जे-11013/55/2008-आईए.II]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 3978(अ), तारीख 14 अगस्त, 2018 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

S.O. 3747(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3978(E), dated the 14th August, 2018, namely:-

In the said notification, -

(a) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“2 A. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the Chairman and members of the Authority, Uttarakhand shall hold office for a term up to the 13th November, 2021 or till the re-constitution of the new Authority, Uttarakhand, whichever is earlier.”;

(b) after paragraph 6, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“6 A. Notwithstanding anything contained in paragraph 6, the Chairman and members of the SEAC, Uttarakhand shall hold office for a term up to the 13th November, 2021 or till the re-constitution of the new SEAC, Uttarakhand, whichever is earlier.”.

[F. No. J-11013/55/2008-IA.II]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3978(E), dated the 14th August, 2018.